

20/01/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित
बिना प्रार्थना- पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिकृत
द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को
दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का
4/5 हिस्सा तथा प्रार्थना-पत्र में संलग्न
नजरिए नक्शे के अनुसार प्रार्थी का
सौके पर कब्जा व काश्त चला आ
रहा है। तथा भौतिक रूप से विभाजन
किया हुआ है। लेकिन राजस्व रेकर्ड
विभाजन नहीं है। तथा अप्रार्थी सॉ 04 से
04 विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं।
P.T. 0



तथा प्राणी को मौके से बेदखल करने हेतु उत्तर है। इसलिए वाद के निरन्तर तक वादग्रस्त भूमि के बाबत मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थित बनाए रखें।

त्राकिवकी अप्राणी सं ०५ द्वारा जवाल-प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राणी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

बहरस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्राणी चूनाराम जमाबंदी अनुसार खातेदार दर्ज है। तथा विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। विभाजन के साथ कब्जे बाबत नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है। जिसके विरोध में अप्राणीगण द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत कर अलग से कोई कब्जा नहीं बताया है। इस प्रकार प्रूपम दृष्टया प्रकरण उपरोक्त तथ्यों व परिस्थिति अनुसार प्राणी के पक्ष में प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय शक्ति के बिंदु भी प्राणी के पक्ष में है। क्योंकि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार प्राणी एक रेकॉर्ड खातेदार है। तथा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार कबिजाना प्रमाणित है। अप्राणीगण को मौके से प्राणी को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा प्राणी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

P.T.0

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उत्तः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2116 रकबा 47 बीघा 02 बिस्वा ग्राम अर्जुनदेवनगर ख.न. 2941 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा ख.न. 2965 रकबा 156 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 2972 रकबा 11 बिस्वा गैर-मुक्तकिन दाणी, खसरा नं. 2973 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 2974 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, ख.न. 2977 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा ग्राम उक्तियों का वास के बाबत प्रार्थना-पत्र से साथ संलग्न नम्बरि-नक्शे अनुसार 01 से 04 किसी प्रकार की देखलदां न ली खंय करें और न ही किसी और से करवाएं, मौके व रेकर्ड की गवाही बनाव रखें।

पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नली हो।

जायक कवरदार, पाठक